न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 81/2010

उनवान मुकदमा

1. पूनीया पुत्र श्री देवेंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी ग्रम कुहाला का वाटा हाल रेबारी की धाणी पटवार हल्का कुहाला तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

वादी

बनाम

1 मोतीया पुत्र श्री देवेंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी ग्रम कुहाला का वाटा पटवार हल्का कुहाला तहसील व जिला बांसवाडा

2 तहसीलदार बांसवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

अभिभाषक :–

1. श्री मुकेश द्विवेदी वादी की तरफ से
2. श्री बी.एम. पुरी प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से

दिनांक :–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 ,209 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की ग्रम कुहाला का वाटा, पटवार वृत कुहाला तहसील बांसवाडा में भूमि खाता नंबर 56 के खसरा नंबर 29 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा खसरा नंबर 39 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ,खसरा नंबर 40 रकबा 1 बीघा ,खसरा नंबर 47 रकबा 11 बिस्वा ,खसरा नंबर 78 रकबा 5 बिस्वा ,खसरा नंबर 88 रकबा 12 बिस्वा ,खसरा नंबर 241 /22 रकबा 15 बिस्वा ,खसरा नंबर 218 /22 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 169/48 रकबा 1 बिस्वा कुल 9 रकबा ,8 बीघा 15 बिस्वा स्थित है. । उक्त भूमिया संवत 2028–31 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता देवेंग पिता कुबेर के नाम दर्ज [illegible] वादी संख्या 1 ने देवेंग को फौत बताकर अपने आपको एकमात्र वारिस [illegible] संख्या 191 दिनांक 22.05. 1992 के जरिये खातेदार के रूप में दर्ज करा [illegible] वादी भी देवेंग का पुत्र है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी का भी नाम दर्ज [illegible] था । वादी संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । अतः उसे आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे साथ , ही विभाजन भी किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 मोतीया पिता देवेंग ने दिनांक 25.07.2011 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया की वादी ने मनगढन्त व मिथ्या वाद पेश किया है । वास्तविक स्थिति यह है कि कुल 3 आराजी स्थित है , तथा उसका शुद्व एवं पवित्र स्वत्व तथा शान्तिपूर्ण आधिपत्य उक्त भूमि पर है, प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी कहा की वादी गांव कोहाला का वाटा में निवास नहीं करता है बल्कि लगभग 46 वर्ष पूर्व वर्ष 1965 में अपने ही परिवार के श्री उकडीया की पुत्री नागरी को भगा कर ले गया था, तब एक ही परिवार की लडकी होने के कारण गांव वालो ने वादी के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी , तब वादी से रूपये 5 लाख हर्जाने के रूप में गांव वालो ने वसूल किया था, तब वादी ने भूमि का परित्याग प्रतिवादी के पक्ष में कर दिया था । वादी ने उस लडकी को भी छोड दिया तथा गांव सरकारी धाणी के श्री विठला पिता केरेंग के यहॉ घर जवॉई के रूप में पिछले 45 वर्षो से रह रहा होकर विठला की सम्पति पर काबिज व वारिस है । वादी ने कभी भी माता पिता की सेवा भी नहीं की न ही बाकी परिवार के प्रति कर्तव्यो का निर्वहन किया है, इस कारण वादी को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही है । इसलिये वह उक्त प्रश्नगतै भूमि का बटवॉरा करवाने का भी हकदार नहीं है । वादी का यह कथन की चौमासे की फसल लेने से रोकने हेतु प्रतिवादी ने वादी को कोई धमकी दी हो, यह कथन भी मिथ्या है । अतः वादी का वाद खारिज किया जावे ।

प्रकरण में तनकियान कायम की गई वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य करवाई गई । वादी ने अपनी साक्ष्य पीडल्यू–1 श्री पूनिया पुत्र श्री देवेंग (स्वंय वादी) पीडब्ल्यू–2 श्रीमती काली पत्नी श्री पुनिया जाति भील निवासी ग्प्रम कुहाला का वाटा, पीडब्ल्यू–3 श्री धुला पिता विठला, जाति भील निवासी सरकारी धाणी ,पीडब्ल्यू –4 नाथु पिता धनजी जाति भील निवासी कुहाला का वाटा करवाई । प्रतिवादी ने साक्ष्य में केवल स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ दस्तावेज यथा जमाबन्दी खाता संख्या 117 ग्प्रम कोहाला का वाटा, संवत 2066–69 ,(प्रर्दश–1) ,जमाबन्दी खाता संख्या 16,ग्प्रम वाटा ,संवत 2028–31 (प्रर्दश–2) जमाबंदी की नकल खाता 15 ग्प्रम वाटा सवंत 2028–31 (प्रर्दश–3) जमाबंदी खाता संख्या 56 ,ग्प्रम कुहाला का वाटा,संवत 2052–55 (प्रर्दश–4)नामान्तरकरण संख्या 191 ,ग्प्रम कोहाला का वाटा (प्रर्दश–5) प्रस्तुत किये, जो शामिल पत्रावली है । वाद में बहस समायत की गई ,तथा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या–1 आया ग्प्रम कुहाला का वाटा के खाता संख्या नया 56 पुराना 37 के कुल खेत 9 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार घोषित कर 1/2 भाग का पृथक खाता कायम किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 15:21:14 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मेवादी

वादी ने दस्तावेज पेश किये है । नामान्तरण संख्या 191 दिनांक 22.05.1992 से देवेंग पिता कुबेर के फौत होने से भूमि को उसके पुत्र मोतिया पिता देवेंग भील के नाम दर्ज करने की स्वीकृति है । (प्रर्दश–5 दिनांक 18.03.2015) 1 प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा की कालम संख्या 2 में कथन किया है की सन् 1965 में अर्थात 46 वर्ष पूर्व वादी गांव की ही परिवार की लडकी को लेकर चला गया था , तभी वादी ने गांव की भूमि का परित्याग प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में कर दिया था । वस्तुतः भूमि का परित्याग प्रतिवादी के पक्ष में करने संबंधी कोई विधिक दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नही किया है, न ही प्रतिवादी यह प्रमाणित कर पाया है कि वादी उसका भाई नही है । इसी कालम में प्रतिवादी ने यह भी कथन किया है कि वादी ने कभी भी माता पिता की सेवा नहीं की तथा बाकी परिवार के प्रति कभी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन नही किया । उक्त से स्पष्ट है की प्रतिवादी यह स्वीकार करता है , कि वादी उसका भाई है , यह दिगर बात है की उसके माता पिता के प्रति व परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन नही किया । प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा मे यह भी कथन किया है कि क्योकि वादी विठला पिता केरेंग निवासी सरकारी धाणी के यहां घर जवांई बन गया है तथा पिछले 46 वर्षो से उसकी सम्पत्ति खा कमा कर उसकी सम्पत्ति का वारिस बन गया है , इसलिये भी उसका प्रश्नगत भूमि पर कोई हक हकूक नही रह जाता है, यह प्रमाणित करता है कि वादी उसका भाई है । वादी ने जो साक्ष्य करवाई है,उसमें भी यह प्रमाणित होता है, वादी प्रतिवादी संख्या 1 का भाई है । तथा देवेंग का पुत्र है । अतः समस्त दस्तावेंजो ,साक्ष्य,वाद ,जवाबदावा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी,देंवेंग का पुत्र है । अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या – 2

आया वादी ने 46 वर्ष पूर्व वादग्रस्त भूमि का परित्याग प्रतिवादी के पक्ष में कर दिया था तब से प्रतिवादी काबिज होकर वारिस है :–

जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद में कथन किया है ,कि वह देवेंग का पुत्र है । प्रतिवादी ने जवाबदावा में कथन किया है कि वादी ने 46 वर्ष पूर्व भूमि का परित्याग प्रतिवादी के पक्ष में कर दिया था । वादी ने जो साक्ष्य करवाई है उसमें (पीडब्ल्यू–4) श्री नाथु पिता धनजी ने कथन किया है कि पुनीया हमारे काके बाबे का भाई है । उसने कथन किया की यह कहना गलत है कि पुनीया विठला पिता केरेंग के घर पर घर जवांई बन कर रह रहा हो ,साथ ही कथन किया की पुनीया रेबारीयों की ढाणी में रह रहा है लेकिन पुनीया (वादी) वाद ग्रस्त भूमि के एकाध खेत पर खेती करता है तथा माता पिता की सेवा केवल दूर रहने के कारण ही नही कर पाया है । उक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वादी, देंवेंग का पुत्र है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021-08-28 15:21:14 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि के कुछ हिस्से पर खेती कर रहा है । प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है की जिससे प्रमाणित हो की वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में भूमि से अपने हक का परित्याग कर दिया हो । पीडब्ल्यू–4 नाथु पिता धनजी का यह कथन की वादग्रस्त भूमि में एकाध खेत पर वादी खेती कर रहा है यह प्रमाणित करता है कि वादी ने अपने हक का परित्याग नही किया है । अतः तनकी संख्या– 2 को जो की प्रतिवादी के जिम्मे थी को प्रमाणित करने से प्रतिवादी संख्या–1 विफल रहा है , अतः तनकी संख्या –2 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूध निर्णित किया जाता है. ।

आदेश

सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर आदेश जारी किया जाता है की ग्रम कुहाला के खाता संख्या 56 (नया,) 37 (पुराना)के खसरा नम्बर 29 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा लगान 6.43 रु,खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा लगान 4.44 रू,खसरा नम्बर 40 रकबा 1 बीघा लगान 2.09 रू,खसरा नंबर 47 रकबा 11 बिस्वा लगान 2.10 रू, खसरा नंबर 78 रकबा 5 बिस्वा लगान 7.25 रू, खसरा नंबर 88 रकबा 12 बिस्वा लगान 3.33 रू.,खसरा नम्बर 241/22 रकबा 15 बिस्वा लगान 0.90 रू, खसरा नंबर 218/22 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा लगान 1.92 रू, खसरा नंबर 169/48 रकबा 1 बिस्वा कुल खेत 9 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा कुल लगान 23.33 रू, वाके ग्रम कुहाला का वाटा पटवार क्षैत्र कुहाला तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी श्री पुनीया को घोषित किया जाता है । वाद खर्चा वादी व प्रतिवादी अपना–अपना वहन करे । पत्रावली में निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे ।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2019.12.27 13:49:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: